भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2587
(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण

2587. श्री दुलू महतो:
श्री जगदम्बिका पाल:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री नव चरण माझी:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ग्रामीण आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई घटक है;

(ख) यदि हां, तो इस घटक के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति तथा प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में किसी अभ्यर्थी को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रमाणित किया गया है और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो आरएमटी/आरपीएल के अंतर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों और प्रमाणित उम्मीदवारों का राज्य-वार और उत्तर प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-

ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक कुशल कार्यबल की उपलब्धता की दिशा में भी योगदान देती है और ग्रामीण कार्यबल के लिए आजीविका के अवसरों की सुविधा प्रदान करती है। पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ पीएमएवाई-जी के तहत आरएमटी कार्यक्रम को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से शुरू किया गया है। दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार, आरएमटी कार्यक्रम के तहत **3,81,986** अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें से **3,08,330** को प्रमाणित किया गया है, और इसके परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएवाई-जी के तहत निर्माण की बेहतर समयबद्धता और गुणवत्ता की सूचना दी है।

ऑन-साइट प्रशिक्षण मॉडल के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 से एक समानांतर आरएमटी पहल शुरू की गई है ताकि पहुंच को व्यापक बनाया जा सके और आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जा सके। आरएसईटीआई मॉडल मानकीकृत पाठ्यक्रम और व्यावहारिक ज्ञान के साथ एक संरचित प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करता है, जिससे राजमिस्त्री कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाता है और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रोजगार तक पहुंच में सुधार होता है। दिनांक 30.11.2025 तक, इस पहल के माध्यम से कुल 8,048 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सहित नामांकित और प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में देखी जा सकती है।

(ग) पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से आरएमटी कार्यक्रम के तहत प्रमाणित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में देखी जा सकती है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जिला-वार आरएमटी/आरपीएल के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों और प्रमाणित अभ्यर्थियों का विवरण **अनुबंध-III** में देखा जा सकता है।

अनुबंध - I

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2587 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 25-26 से आरएसईटीआई के माध्यम से और योजना की शुरुआत से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

क्र.सं	**राज्य**	**नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या**	**प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या**	**ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से आरएसईटीआई प्रमाणित अभ्यर्थी (वि.व.25-26 से)**
1	असम	12,914	11,819	207
2	बिहार	15,903	14,139	-
3	छत्तीसगढ़	40,918	32,767	3477
4	गुजरात	8,259	7,363	-
5	हरियाणा	60	55	35
6	हिमाचल प्रदेश	434	352	-
7	जम्मू और कश्मीर	2,933	2,494	-
8	झारखंड	42,161	34,483	115
9	कर्नाटक	12,013	9,871	-
10	केरल	42	34	-
11	मध्य प्रदेश	49,435	31,206	2044
12	महाराष्ट्र	51,556	44,324	33
13	मणिपुर	-	-	89
14	मेघालय	1,146	748	12
15	मिजोरम	46	32	93
16	नागालैंड	-	-	26
17	ओडिशा	33,092	26,349	186
18	राजस्थान	20,496	17,500	-
19	त्रिपुरा	220	182	122
20	उत्तर प्रदेश	**56,413**	**47,873**	**31**
21	उत्तराखंड	537	484	-
22	पश्चिम	33,408	26,255	-

	बंगाल			
23	तमिलनाडु	-	-	1558
24	अंडमान और निकोबार	-	-	20
	कुल योग	**3,81,986**	**3,08,330**	**8,048**

* दिनांक *09.12.2025 की स्थिति के अनुसार आरएमटी और दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार आरएसईटीआई का डेटा*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2587 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं	**राज्य**	**नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या**	**प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या**
1	असम	11,218	10,335
2	बिहार	15	12
3	गुजरात	3,248	2,916
4	हिमाचल प्रदेश	434	352
5	झारखंड	16,117	11,873
6	केरल	22	18
7	महाराष्ट्र	749	608
8	ओडिशा	16,466	12,756
9	राजस्थान	1,107	799
10	उत्तर प्रदेश	27,556	22,119
11	उत्तराखंड	510	459
12	पश्चिम बंगाल	22,775	17,303
	कुल योग	**1,00,217**	**79,550**

09.12.2025 की स्थिति के अनुसार

अनुबंध- III

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2587 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत शुरूआत से अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की ज़िलेवार विवरण:

		ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण		**आरएमटी में आरपीएल**	
क्र.सं	**जिले-वार**	**नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या**	**प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या**	**नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या**	**प्रमाणित अभ्यर्थियों की संख्या**
1	जौनपुर	875	765	855	747
2	आगरा	243	214	121	106
3	अलीगढ़	53	49	27	25
4	अंबेडकर नगर	1,127	973	727	621
5	अमेठी	73	67	36	33
6	अमरोहा	31	27	15	13
7	औरैया	174	166	116	110
8	अयोध्या	382	322	222	184
9	आजमगढ़	766	680	383	332
10	बहराइच	118	105	118	105
11	बहराइच	1,669	1,456	1,123	945
12	बलिया	1,020	888	500	430
13	बलरामपुर	580	521	470	418
14	बांदा	2,111	1,872	647	595
15	बाराबंकी	2,123	1,737	1,106	915
16	बस्ती	510	372	284	190
17	बिजनौर	134	124	67	60
18	बदायूं	111	87	37	29
19	चंदौली	323	257	182	131
20	चित्रकूट	334	302	167	147
21	देवरिया	160	113	70	48
22	एटा	189	173	94	85

23	इटावा	143	131	47	41
24	फर्रुखाबाद	420	379	210	182
25	फतेहपुर	1,008	855	639	522
26	फिरोजाबाद	179	159	120	108
27	गाजीपुर	440	399	320	290
28	गाजीपुर	1,180	1,048	540	468
29	गोंडा	699	648	338	304
30	गोरखपुर	1,572	1,155	930	575
31	हमीरपुर	278	250	139	127
32	हरदोई	2,943	2,473	1,055	814
33	हाथरस	38	36	19	18
34	जबलपुर	20	18	20	18
35	जालौन	138	124	69	61
36	जौनपुर	1,507	1,243	730	602
37	झांसी	361	328	178	158
38	कन्नौज	318	283	122	93
39	कानपुर देहात	946	652	792	512
40	कानपुर नगर	746	554	546	373
41	कौशाम्बी	362	335	211	197
42	खीरी	792	531	764	504
43	कुशीनगर	1,587	1,395	133	105
44	लखीमपुर	390	357	248	224
45	लखीमपुर खीरी	586	544	222	202
46	ललितपुर	474	441	237	220
47	लखनऊ	544	377	468	306
48	महाराजगंज	142	128	71	65
49	महोबा	257	237	129	117
50	मैनपुरी	97	91	49	46
51	मऊ	320	284	170	145
52	मिर्जापुर	1,688	1,514	430	393
53	मुरादाबाद	58	49	-	-
54	पीलीभीत	629	564	330	289

55	प्रतापगढ़	3,128	2,606	2,014	1,567
56	प्रयागराज	1,990	1,768	967	818
57	रायबरेली	1,241	955	741	571
58	रायबरेली	557	484	279	244
59	रामपुर	368	321	184	153
60	सहारनपुर	103	92	51	42
61	संत कबीर नगर	797	670	411	327
62	संत रविदास नगर	463	422	222	196
63	शाहजहांपुर	560	458	258	188
64	शामली	95	80	47	36
65	श्रावस्ती	35	32	14	12
66	श्रावस्ती	191	181	99	92
67	सिद्धार्थ नगर	1,821	1,686	82	73
68	सीतापुर	4,968	4,107	1,584	1,114
69	सोनभद्र	622	558	302	260
70	श्रावस्ती	269	210	269	210
71	सुल्तानपुर	3,881	3,333	1,371	1,097
72	उन्नाव	1,156	878	918	686
73	वाराणसी	200	180	100	85
	कुल योग	**56,413**	**47,873**	**27,556**	**22,119**

दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार

*****